	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

23 रेखा देवी पति कृष्ण कुमार दास, निवास स्थान ग्राम–मण्डईखुर्द, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–मण्डईकला, थाना नं0-131, खाता संख्या–69, प्लॉट संख्या–613, रकवा 0.07 एकड़ (07 डिसमिल) (सात डिसमिल) भूमि तारा देवी पति मनोज कुमार रविदास, निवास स्थान ग्राम–कुरहागड़ा, पोस्ट–डांटोखुर्द, थाना–कटकमसांडी, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र एवं भूमि संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-578/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3246/रा0 दिनांक 01.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 565 दिनांक 22.03.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि किस्म बकास्त है। केवाला में कुल खरीदगी भूमि रकवा 12डी0 है। पंजी–।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 12डी0 भूमि है। पंजी–।। के पृष्ठ संख्या-119/XXIV पर रेखा देवी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021–22 तक निर्गत् है। विक्रेता स्वयं जमाबंदी रैयत हैं। पूर्ण भूमि आवेदक की है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 05डी0 भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू–अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत्

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
	प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में रेखा देवी पति कृष्ण कुमार दास, निवास स्थान ग्राम-मण्डईखुर्द, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-मण्डईकला, थाना नं0-131, खाता संख्या-69, प्लॉट संख्या-613, रकवा 0.07 एकड़ (07 डिसमिल) (सात डिसमिल) भूमि तारा देवी पति मनोज कुमार रविदास, निवास स्थान ग्राम-कुरहागड़ा, पोस्ट-डांटोखुर्द, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.06.05 12:06:57 +05:30
Location: 192.168.0.111